सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्याः- 1389/रा0नि0आ0-3/2763/2019 दिनांकः 25 नवम्बर, 2024

आदेश

नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश संख्या-3067/रा0नि0आ0-3/2763/2019 देहरादून दिनांक, 05 नवम्बर, 2019 द्वारा "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2019" जारी किया गया था जिसे अवक्रमित करते हुए "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 य क तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 13-छ के खण्ड (थ) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 46 के खण्ड (न) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है किः-

(1) यह आदेश "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2024" कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

2. निर्वाचन व्यय इस आदेश के **अनुलग्नक-1** के स्तम्भ-2 में वर्णित पदों के उम्मीदवारों द्वारा स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

3. (1) नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में स्वयं उम्मीदवार (निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या उसके राजनैतिक दल द्वारा प्राधिकृत किये गये या प्राधिकृत कराये गये प्रतिनिधि द्वारा सम्पूर्ण व्ययों का प्रथम शुद्ध लेखा स्वयं उम्मीदवार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा रखा जायेगा। यह लेखा नामांकन के दिनांक तथा उसके परिणाम घोषित होने के दिनांक के मध्य (दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुये) किये जाने वाले व्ययों का होगा। निर्वाचन से सम्बन्धित यह लेखा विवरण इस आदेश में दिये गये **अनुलग्नक-2** (दिन-प्रतिदिन का लेखा) **अनुलग्नक-2'क' व 'ख'** (नगद रजिस्टर व बैंक रजिस्टर) तथा **अनुलग्नक-3** (मदवार व्यय का विवरण) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा। इसमें दिन-प्रतिदिन के व्यय के हर एक मद के विषय में निम्नलिखित विवरण होंगेः-

(क) वह दिनांक जिसको व्यय किया गया या प्राधिकृत किया गया।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और अन्य इसी प्रकार का व्यय)

(ग) व्यय की धनराशि

(अ) भुगतान की गयी धनराशि

(ब) अवशेष धनराशि

(घ) भुगतान का दिनांक,

क्रमशः.....2

(ङ) पाने वाले का नाम व पता,
(च) भुगतान की गई धनराशि की दशा में वाउचरों का क्रम–संख्यांक,
(छ) अवशेष धनराशि की दशा में बिल संख्या, यदि कोई हो,
(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको अवशेष धनराशि देय हो।

(2) व्यय की हर मद के लिये वाउचर प्राप्त किया जायेगा सिवाय तब जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा या उसी तरह के मामलों में जिसमें मामले की प्रकृति के कारण वाउचर प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(3) समस्त वाउचर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भुगतान के दिनांक के क्रम में रखे जायेगें और क्रम संख्याकित किये जायेंगे तथा निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किये जायेंगे और ऐसे क्रम संख्याकन उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित लेखे के मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे।

(4) उप प्रस्तर (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियॉ/विवरण व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके उप प्रस्तर (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं।

4. **लेखाओं के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचनाः–** जिला निर्वाचन अधिकारी उस दिनांक से जिसको निम्नांकित व्ययों का लेखा उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया है, दो दिन के भीतर एक सूचना जिसमें :–

(क) वह दिनांक जिसमें लेखा दाखिल किया गया है,
(ख) उम्मीदवार का नाम, तथा
(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट हो, अपने सूचनापट्ट पर लगायेंगे।

5. **लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियॉ प्राप्त करनाः–** कोई व्यक्ति रूपये 10.00 (दस रूपये) की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. (1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल करने के लिये चुनाव परिणाम की घोषणा के इस आदेश के प्रस्तर–8 में निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) एक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगाः–

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम,
(ख) उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नही और यदि कर दिया है तो उसका दिनांक,
(ग) लेखा निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दाखिल किया गया है या नहीं?

(2) जहॉ जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) की यह राय है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन व्ययों का लेखा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहॉ वह ऐसी प्रत्येक आख्या के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों के लेखों और उसके साथ दाखिल वाउचरों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) उप प्रस्तर–(1) में निर्दिष्ट आख्या प्रेषित करने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचनापट्ट पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

क्रमशः.....3

(4) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर–(1) में निर्दिष्ट आख्या की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार(निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उसी रीति में, जो कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा या नहीं।

(5) जहॉ कि राज्य निर्वाचन आयोग यह विनिश्चित करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, वहॉ वह उस उम्मीदवार को लिखित कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न इस असफलता पर उसे अनर्ह कर दिया जाय।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार जिसे उप प्रस्तर (5) के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इस विषय में लिखित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे सकता है और उस आवेदन की एक प्रति और निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) उस आवेदन की प्राप्ति के पॉच दिन के अन्दर आवेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा अपनी टिप्पणियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।

(8) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी(नागर स्थानीय निकाय)द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायिक औचित्य नहीं है तब वह उस उम्मीदवार को आदेश के दिनांक से **तीन (03) वर्ष** के लिये अनर्ह घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

7. (1) प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के तीस (30) दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है तो उनमें अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा की दिनांक से तीस (30) दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्ययों का यह ब्योरा निर्वाचन व्ययों की सत्यापित प्रति होगी जो कि उसने स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा रखी गयी है।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करते समय एक शपथ–पत्र, जैसा **अनुलग्नक–4** में दिया गया है, भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। शपथ–पत्र में वह यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि प्रारूप के भाग–3 में सूचीबद्ध मदों में दर्शाया गया व्यय शून्य है, यदि उसमें कोई रिक्ति है, शपथ–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उससे सम्बन्धित सूचीबद्ध मदों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय को उक्त विवरण में पूर्णतः और स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन में किया गया कोई व्यय छिपाया नही गया है।

8. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत व्यय की विवरणी में "समस्त" निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दिखाना है, इसलिये जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) व्यय विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार होने पर उम्मीदवार का लेखा स्वीकार करने से पूर्व उसकी ऐसी जॉच करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) यथापेक्षित अपनी सूचना आयोग को देते समय यह सत्यापित करेगा कि लेखा विवरण रीति में है। यह उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एवं सत्यापित विवरण तथा दस्तावेजों को आयोग के निमित प्रमाणित करके भेजेगा।

क्रमशः.....4

9. आयोग उपर्युक्त प्रक्रिया से प्रस्तुत किये गये विवरणों की प्रमाणिकता की जॉच करा सकता है और उम्मीदवार की किसी चूक या गलत सूचना के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है।

अभ्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले दैनिक निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक निकाय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय तंत्र स्थापित किया गया है। अभ्यार्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे का दैनिक रखरखाव अनिर्वाय है। यद्यपि, निर्वाचन व्यय का लेखा, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के अदंर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, फिर भी प्रचार–अवधि के दौरान अनुवीक्षण नियमित आधार पर किया जाना होता है जिससे कि इस अवधि के दौरान अभ्यार्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा उपगत प्रत्येक निर्वाचन व्यय का उपयुक्त एवं सटीक तरीके से लेखा–जोखा रखा जा सके। विधि के अधीन अपेक्षित है कि निर्वाचनों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी लेखे की समवीक्षा करें तथा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे व्यय अनुवीक्षण हेतु एक व्यय अनुवीक्षण तंत्र का ढांचा इस प्रकार होगा।

1 <u>व्यय प्रेक्षक (Expenditure Observer):–</u>

अभ्यार्थियों द्वारा किये गये निर्वाचन व्यय का अवलोकन करने के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक जनपद के लिए कम से कम एक व्यय प्रेक्षक होगा।

<u>व्यय प्रेक्षक का दौराः–</u>

व्यय प्रेक्षक निर्वाचनों की अधिसूचना के दिन से मतदान की तिथि के मध्य, प्रथम बार जिला निर्वाचन अधिकारी (D.E.O) से समन्वय कर मतदान दिवस से तीन दिन पूर्व जनपद में जाएंगे। **दो** पूर्ण दिवसो के लिए निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास करेंगे तथा D.E.O/सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा किये गये व्यय अनुवीक्षण का अनुवीक्षण करेगें। वे जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी व व्यय से संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ व्यय अनुवीक्षण संबंधित समनव्य करेगें।

व्यय प्रेक्षक निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के बाद 25 वे दिन जनपद क्षेत्र में जायेगें और परिणामों की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखे के विवरण की संवीक्षा में आवश्यक सहायता करने के लिए दो पूर्ण दिवसो तक जनपद में रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अन्दर सभी उम्मीदवारों के लिए लेखे दाखिल करना सुगम बनाएगे।

<u>सहायक व्यय प्रेक्षक (ए.ई.ओ):–</u>

जिला निर्वाचन अधिकारी (डी0ई0ओ0) द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के दिन यथासम्भव प्रत्येक निकाय क्षेत्र के लिए एक सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये जायेंगे परन्तु एक सहायक व्यय प्रेक्षक क़ो एक से अधिक निकायों का प्रभार भी दिया जा सकता है। सहायक व्यय प्रेक्षक राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ख' अधिकारियों या समतुल्य रैंक के होंगे। जिले के निकाय क्षेत्रों में जिला/उपजिला/राज्य कोषागार या वित्त/राज्यकर/ऑडिट विभाग के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है।

सहायक व्यय प्रेक्षक को अधिसूचना की तिथि से लेकर निर्वाचन व्यय आयोग को प्रेषित करने तक निकाय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जायेगा तथा वे जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर नही जा सकेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक मतगणना के दिन से एक दिन पूर्व एवम पुनः निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 25वें दिन से 30वें दिन तक अभ्यार्थियों या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देने तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट एवं व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगें। परिणामों के घोषित होने के 37वें दिन के बाद उनको अंतिम रूप से कार्यमुक्त किया जायेगा।

क्रमशः.....5

सहायक व्यय प्रेक्षक प्रत्येक अभ्यार्थी से संबंधित रिपोर्ट एवं शिकायतों का संज्ञान लेंगे व अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। वह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीम से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट/आदेश प्राप्त कर लिए जांय और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय दिन प्रतिदिन के लेखे में उचित रूप से दर्शाए जांए। भ्रष्ट आचरण व शिकायतों को जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षक के नोटिस में लायेंगे, जो इसके परिप्रेक्ष्य मे रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे।

सहायक व्यय प्रेक्षक सभी कार्य कलापों पर एक दैनिक रिपोर्ट D.E.O/व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी के रजिस्टर में किसी भी खर्च को छिपाने या कम करके बताए जाने के साक्ष्य पाये जाने पर, सहायक व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय उसे व्यय प्रेक्षक और उसके माध्यम से उपयुक्त रूप से अभ्यर्थी के नोटिस में लायेगें।

सहायक व्यय प्रेक्षक, आयोग को अपनी संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यय प्रेक्षक के साथ–साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेंगे। जनपद के व्यय नोडल अधिकारी प्रारूप–'क' 2 पर तैयार दैनिक रिपोर्ट कर अध्ययन करेंगे तथा कुछ आपत्तिजनक होने पर D.E.O के संज्ञान में लाएंगे।

व्यय प्रेक्षक का आगमन/प्रस्थान रिपोर्ट

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक कोड	
निकाय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	
जनपद का नाम	
निकाय निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या/ई–मेल	
प्रेक्षक की मोबाइल संख्या	
प्रेक्षक के आगमन/प्रस्थान की तिथि	
क्या प्रेक्षक द्वारा ड्यूटी से कोई अवकाश लिया गया था	

व्यय नियंत्रण संचालन करना वृहदाकार कार्य तथा एक टीम वर्क है जो राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन आधिकारी द्वारा किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारी अपने निकाय के प्रभारी होते हैं।

1. **रिटर्निंग अधिकारी(आर0ओ0) की भूमिकाः–**

व्यय अनुवीक्षण प्रकिया, निर्वाचन व्यय से संबंधित उपबंधों का पालन करायेंगे तथा अभ्यर्थियों की एक बैठक आयोजित करेंगें। वह राजनैतिक दलों/अभ्यार्थियों के, वाहनों/सार्वजनिक बैठकों आदि के लिए कानून या नियमों के अर्तगत यथापेक्षित अनुमति पत्र तत्परतापूर्वक जारी करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यार्थियों द्वारा आपराधिक अभिलेख एवं परिसम्पत्ति तथा देयता विवरण दाखिल करने के लिए शपथ–पत्र का संयुक्त फार्मेट सभी संभावित अभ्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाये। वह नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय अभ्यार्थियों को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित नागर स्थानीय निकाय का निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रारूप उपलब्ध कराए।

क्रमशः.....6

वह प्रचार अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षक द्वारा लेखे की जांच के लिए तारीख अधिसूचित करेंगे तथा वह अभ्यार्थियों के व्यय रजिस्टर के बीच किसी विसंगति को स्पष्ट करने के लिए अभ्यार्थियों को नोटिस जारी करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी व्यय प्रेक्षक द्वारा सुझाए अनुसार त्रुटि करने वाले अभ्यार्थियों को नोटिस जारी करेंगे।

रिटर्निंग अधिकारी, प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक रखेंगे जिसमें वे निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों, उसके अनुवीक्षण और उसका पालन करने की असफलता के परिणामों को भली प्रकार स्पष्ट भी करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की अधिसूचना की एक प्रति भी देंगे।

लेखे का निरीक्षणः–

रिटर्निंग अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक के सहयोग से प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेंगे। वह प्रचार अवधि में कम से कम तीन बार अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से व्यय का निरीक्षण करायेंगे। दो निरीक्षणों के बीच कम से कम तीन दिन का अंतराल होना चाहिए। अन्तिम निरीक्षण मतदान के दिन से पूर्व कर लिया जाए।

यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन एजेंट अपना निर्वाचन व्यय निर्धारित दिन में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित में उसे नोटिस जारी किया जाएगा कि यदि वह नोटिस में विर्निदिष्ट तारीख को व्यय विवरण निरीक्षण कराने में असफल होता है तो यह माना जाएगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 177 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

प्रशिक्षणः–

प्रत्येक अभ्यार्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाना अनीवार्य है। यह खाता अभ्यार्थी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले खोला जायेगा। लेखे के अनुवीक्षण हेतु एक नई व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को लेखे की फाईलिंग कि प्रक्रिया, दाखिल किये जाने वाले फार्म एवं शपथ–पत्र एवं अक्सर सामने आने वाली त्रुटियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी को शामिल करना चाहिए। अपूर्ण फार्म दाखिल करने या निर्धारित तारीख में व्यय लेखा दाखिल न करने या सही लेखे न दर्शाने के परिणामों के बारे में भी अभ्यर्थियों/एजेंटों को बताया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उन्हे लेखा समाधान बैठक के बारे में बताया जायेगा जिसमें उन्हें सभी अंतिम लेखों के साथ तैयार होकर आना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी (डी0ई0ओ0) की भूमिका–:

जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के तीन दिन के भीतर मान्यता प्राप्त सभी पंजीकृत राष्ट्रीय/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन करेंगे। इस बैठक में, जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित सभी विधिक प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों, उसके अनुवीक्षण और उसका पालन कराने की असफलता के परिणामों को भली प्रकार स्पष्ट करेंगे। आर0ओ0 प्रत्येक मान्यता प्राप्त पंजीकृत राष्ट्रीय/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को इस सार–संग्रह, परिसम्पत्ति एवं देयता की घोषणा के लिए शपथ–पत्र के संशोधित फार्मेट तथा निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की एक प्रति भी देंगे।

क्रमशः.....7

जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख से 37वें दिन तक निर्धारित फॉर्मेट(अनुलग्नक– क1) में अभ्यर्थीवार सार एवं संवीक्षा रिर्पोट को अंतिम रूप देंगे और उसे अधिमानतः 38वें दिन तक राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय को अग्रेषित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के अंदर पत्र जारी करेंगे ताकि अभ्यर्थी का जवाब प्राप्त किया जा सके। पत्र/जवाब दोनों पर ही पहले लेखा समाधान बैठक में विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) की अभिलिखित राय से आयोग को अवगत कराया जायेगा।

लेखे दाखिल करने में देरी होने के मामलों में जो नियत तारीख से 15 दिन से अधिक न हो, जिला निर्वाचन अधिकारी देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए अभ्यर्थी को अपनी ओर से नोटिस जारी करेंगे। अभ्यर्थी के जवाब की जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और वह नोटिस की प्रति और अभ्यर्थी का जवाब अपनी टिप्पणियो सहित, यदि कोई है, आयोग को अग्रेषित करेंगे।

उन मामलों में जहां लेखा समाधान बैठक के बाद भी असहमति बनी रहती है और जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय ठीक प्रकार से रिपोर्ट किए गए है तो जिला निर्वाचन अधिकारी, संवीक्षा रिपोर्ट के साथ सुसंगत दस्तावेजों तथा डीईएमसी/लेखा समाधान बैठकों का कार्यवृत्त, जारी किए गए नोटिस, अभ्यर्थियो से जवाब, रेट चार्ट, लेखा रजिस्टर, दस्तावेजों सहित अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय रजिस्टर, विधिवत् रूप से क्रमांकित, की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करेंगे।

यह जिला निर्वाचन अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि जिले में नागर निकाय क्षेत्रों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र सुचारू रूप से चले।

1. जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक के प्रकार्यो के निष्पादन में उन्हें लॉजिस्टिक्स सहित हर प्रकार की सहायता मुहैया करायेंगे।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय अनुवीक्षण टीम को लॉजिस्टिक्स संबंधी संहयोग मुहैया करेंगे।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन संबंधी व्ययों की विभिन्न मदों की दरों पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे और अधिसूचना जारी करने से पहले उनके विचार लेंगे।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय मदों की दरों, समाचार पत्रों की मानक दर चार्ट, टी0वी0 व अन्य मीडिया की दरों को अधिसूचित करेंगे।

अभ्यर्थी/राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में कियोस्क, प्रचार कार्यालय आदि खोलते हैं और ऐसे व्यय जैसे कि बिजली या साजो सामान जैसे शामियाना आदि नामांकन दाखिल करने की तारीख के बाद से अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाते हैं। वह व्यय प्रेक्षक के सहयोग तथा समर्थन से व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की सहायता से परिणामों की घोषणा के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए निर्वाचन व्यय के लेखा विवरण की संवीक्षा करेंगे तथा विहित फॉर्मेट में परिणामों की घोषणा के 38वें दिन निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः.....8

प्रभारी अधिकारी (व्यय):–

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोषागार/वित्त सेवा/अन्य अधिकारी जिनकी सेवाएं व्यय अनुवीक्षण के लिए अपेक्षित हैं, को प्रभारी अधिकारी (व्यय) नामित कर सकते हैं। प्रत्येक नागर निकाय हेतु एक लेखाकरण टीम होगी जो प्रभारी अधिकारी (व्यय) की सहायता हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय की मदों की प्रविष्टि करेगी और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर लिखेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मदों पर कुल व्यय की गणना करेगी। लेखांकरण टीम राजनैतिक दलों के व्यय के लेखांकन के उद्देश्य से निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर मतदान तक कार्य करेगी। प्रभारी अधिकारी (व्यय) अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा व्यय नियंत्रण में लगी टीमों से समन्वय करेंगे। टीमों द्वारा कृत कार्यवाही एवं जब्ती की जनपद की दैनिक रिपोर्ट तैयार कर D.E.O के माध्यम से प्रारूप अनुलग्नक–क2 पर आयोग को भेजेंगे।

जिला व्यय अनुवीक्षण समितिः–

अभ्यर्थी के सही प्रकार से लेखे प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अथवा कुछ व्यय उपगत किये जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन उसके द्वारा बनाये गये निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखे मे न हो तो या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्धारित तिथि को निरीक्षण के लिये उक्त लिखे प्रस्तुत नहीं किये गये तब रिर्टनिंग अधिकारी अभ्यर्थी को तत्संबंधी साक्ष्यों सहित नोटिस जारी करेगा। ऐसा अभ्यर्थी 48 घण्टे के अन्दर नोटिस का जवाब देगा जिसमें वह उसके नोटिस में लायी गयी चूक या व्यतिक्रम के कारणों को स्पष्ट करेगा। जहां अभ्यर्थी नोटिस में उल्लिखित छिपाऐ गये व्यय की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वह उसके निर्वाचन खर्चे में जोड दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मध्य नोटिस में उल्लिखत छिपाये गये व्ययों को लेकर विरोध है तो वह इस असहमति के लिये कारणों का उल्लेख करते हुये जवाब प्रस्तुत करेगा और उसे निम्नलिखित सहित जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डी.ई.एम.सी) को अग्रेषित करेगा। डी.ई.एम.सी निम्न प्रकार से बनी होगी–

1– निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक

2– जिला निर्वाचन अधिकारी

3– उप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिले के व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी नोटिस में उल्लिखित साक्ष्य तथा उस पर अभ्यर्थी के जवाब की जांच करने के पश्चात डी0ई0एम0सी0, अधिमानतः अभ्यर्थी से जवाब प्राप्त करने के 72 घण्टों के अन्दर इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी कि क्या ऐसे छिपाये गये व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में जोडा जायेगा या नहीं।

जब्ती संबंधी रिर्पोटों का संकलनः–

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचनों के दौरान जब्ती से संबंधित सभी अभिलेखों का उचित प्रकार से एवं सही तरीके से रख–रखाव किया जाये, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस तथा जिला प्रशासन के विशेष दलों से आवश्यक इनपुट्स प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर जब्ती के विवरण को संकलन करते हुए आयोग को प्रस्तुत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी जनपदों मे अवैध मदिरा, मादक पदार्थों, नगदी एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन/उपहार आदि वस्तुओं जिसका प्रयोग निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित करने हेतु किया जा सकता है का समुचित अनुवीक्षण करेंगे। अनुवीक्षण हेतु जिला प्रशासन, पुलिस विभाग व आबकारी विभाग की टीमों का गठन कर पृथक–पृथक दैनिक रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (व्यय) सभी दैनिक रिपोर्टो को संकलित कर D.E.O के माध्यम से आयोग को भेजेंगे तथा कोई भी आपत्तिजनक जब्ती संबंधी कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन/RO को अग्रसारित करेंगे।

उपरोक्त पर्वतन कार्य हेतु निम्न विभागीय टीमें तथा विभागीय नोडल अधिकारी D.E.O द्वारा नामित होगेः–

क्रमशः.....9

(i) **जिला प्रशासनः–** एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जनपद का नोडल बनाया जायेगा जो विभिन्न स्थानों पर जब्ती की कार्यवाही करवाएंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर व संकलित कर प्रभारी अधिकारी (व्यय) को भेजेंगे।

(ii) **पुलिस :–** जनपद स्तरीय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल बनाया जाएगा जो विभिन्न स्थानों पर जब्ती की कार्यवाही करवाएंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर व संकलित कर प्रभारी अधिकारी (व्यय) को भेजेंगे।

(iii) **आबकारीः–** जिला आबकारी अधिकारी को नोडल बनाया जाएगा जो विभिन्न स्थानों पर जब्ती की कार्यवाही करवाएंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर व संकलित कर प्रभारी अधिकारी (व्यय) को भेजेंगे।

राज्य के पुलिस नोडल अधिकारी :

राज्य के पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस नोडल अधिकारी के रूप मे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित किया जायेगा जो जनपदों के साथ समन्वयन करेंगे। निर्वाचन के दौरान उनके कार्यालय का दूरभाष नं0/मो0नं0 एवं ई–मेल व्यय प्रेक्षक, जिला प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया जाएगा। वे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत पुलिस विभाग की अन्य टीमों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे। वह जिलों से प्राप्त सूचनाओं/जब्ती रिपोर्ट का संकलन करते हुए, प्रतिदिन आयोग को सूचित करेंगे। राज्य के पुलिस नोडल अधिकारी सूचनाओं के आधार पर अकस्मात् चैकिंग/जब्ती भी करा सकते हैं।

आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी :

निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त राज्य में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थो संचरण की रोकराथ एवं जब्ती किया जाना आवश्यक है ताकि मतदाताओं को प्रभावित किए जाने हेतु दुरूप्रयोग ना हो। राज्य के आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी नोडल अधिकारी के रूप में राज्य स्तरीय आबकारी अधिकारी को नामित किया जायेगा। राज्य के नोडल अधिकारी जनपदों में समन्वय कर प्रतिदिन जब्ती की कार्यवाही करवाऐंगे एवं रिपोर्ट संकलित कर आयोग को भेजेंगे। जब्ती पर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही भी करवाऐंगे। राज्य के आबकारी नोडल अधिकारी सूचनाओं के आधार पर अकस्मात् चैकिंग/जब्ती भी करा सकते हैं। नोडल अधिकारी का दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल व्यय प्रेक्षक, जिला प्रशासन तथा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किए जाऐंगे।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः– 1389 /रा0नि0आ0–3/ 2763 /2019/तद्दिनांक (ई–मेल)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
9– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
10–समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

क्रमशः.....10

11–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

12– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटो लिथो प्रेस रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियॉ आयोग को उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13– आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

14– गार्ड फाइल।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

अनुलग्नक–क1

जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की संवीक्षा रिपोर्ट

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या.....

राज्य का नाम.....जिला.....निर्वाचन क्षेत्र.....

क्र.स.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाय
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	
3.	नागर निकाय क्षेत्र की संख्या व नाम	
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	
6.	लेखा समाधान बैठक की तारीख	
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा समाधान की बैठक की तारीख के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हॉ/नहीं (ii) हॉ/नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा समाधान किया गया है (हॉ या नही)	हॉ/नहीं
9.	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है	हॉ/नहीं
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखित किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीखः (i) मूल लेखा (ii) लेखा–समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हॉ/नहीं
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा– यदि नहीं तो कारण बताएं	हॉ/नहीं
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	
15	सार विवरण में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हॉ/नहीं
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें (i) दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है (ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ–पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है (iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाउचर प्रस्तुत किये गये हैं (iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है (v) क्या सभी व्यय (छोटे–मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं	हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं
18.	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया (ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा (iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं	हॉ/नहीं हॉ/नहीं हॉ/नहीं

19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, व्यय रजिस्टर मेल खाती हैं यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें:–	हॉ/नहीं
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार–प्रसार की अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	हॉ/नहीं
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक–ठीक रिपोर्टिंग की गयी है व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं।	हॉ/नहीं **हस्ताक्षर** **(डीईओ का नाम)**
22.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक	**व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर।**

अनुलग्नक–क2

दिनांक ...../...../2024 की स्थिति के अनुसार दैनिक जब्ती रिपोर्ट
(रिपोर्टिंग के पिछले दिन के पूर्वाह्न 9.00 बजे तक) राज्य निर्वाचन आयोग को अपराह्न 3.00 बजे तक भेजा जाए
.....(जनपद, नागर स्थानीय निकाय क्षेत्र का नाम व सं.), ...राज्य

1 कुल नगदी जब्ती

पुलिस द्वारा		जिला प्रशासन द्वारा		कुल
पिछले दिन की जब्ती	उत्तरोतर जब्ती	पिछले दिन की जब्ती	उत्तरोतर जब्ती	उत्तरोतर जब्ती

2. कुल मदीरा जब्ती (मात्रा लीटर में)

पुलिस द्वारा		आबकारी विभाग द्वारा		उत्तरोतर जब्ती	
पिछले दिन की जब्ती	उत्तरोतर जब्ती	पिछले दिन की जब्ती	उत्तरोतर जब्ती	राज्य मे मदीरा की कुल जब्ती	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य

3. पुलिस/आबकारी प्राधिकारियों द्वारा नसीले पदार्थ/स्वापक पदार्थो की कुल जब्ती

पिछले दिन की जब्ती		उत्तरोतर जब्ती	
विवरण और मात्रा	मूल्य	विवरण और मात्रा	मूल्य

4. बहुमुल्य धातुओं की कुल जब्ती (जब्त सोना, चाँदी, आभूषण आदि और मूल्य रूपये में)

पिछले दिन की जब्ती		उत्तरोतर जब्ती	
विवरण और मात्रा	मूल्य	विवरण और मात्रा	मूल्य

5. कुल अन्य वस्तुएं/मुफ्त उपहारों की जब्ती व उनका मूल्य

पिछले दिन की जब्ती		उत्तरोतर जब्ती	
विवरण और मात्रा	मूल्य	विवरण और मात्रा	मूल्य

6. कुल जब्ती की कीमत रूपये में

पिछले दिन कुल संचयी जब्ती रूपए में	कुल संचयी जब्ती रूपए में

प्रभारी अधिकारी व्यय के हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट

मतदान के पूरा होने के बाद व्यय रिपोर्ट

(रिपोर्ट मतदान/पुर्नमतदान के 24 घंटों के अन्दर आयोग को प्रेषित की जाएगी)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक कोड	
निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाईल नम्बर	मोबाईल संख्या
ई0मेल आईडी	

क्र0सं0	विवरण		
(क)	व्यय से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(ख)	जांच की गई शिकायतों की संख्या तथा की गई कार्यवाही		
(ग)	लम्बित मामलों की संख्या, जांच तथा सुधार हेतु कार्यवाही		
(घ)	लम्बित रहने का कारण		
(ड) (i)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होने जांच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नही किये हैं।		
(ii)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें जांच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नही करने के कारण नोटिस जारी किये गये हैं		
(iii)	अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने नोटिस दिये जाने के बावजूद भी रजिस्टर प्रस्तुत नही किये।		
(iv)	नामों का उल्लेख करें, जिन्होने नोटिस दिये जाने के बावजूद भी रजिस्टर प्रस्तुत नही किये।		
(च)	अभ्यर्थी जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था	संख्या	नाम
(i)	दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर/नकद रजिस्टर/बैंक रजिस्टर के फार्मेट में विसंगत के लिए		
(ii)	वे सभी जो छाया रजिस्टर में दर्शाये गये हैं, के साथ सही व्यय लेखा नही दिखाये जाने के लिए		
(iii)	अलग से बैंक खाता नही खोलने के लिए		
(छ)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मुख्यालय में अभ्यर्थियों के बीच छाया प्रेक्षण रजिस्टर, साक्ष्य फोल्डर तथा अन्य रिपोर्ट/पत्र व्यवहार का रख–रखाव किया है		
(ज)	नामांकन दाखिल करने के बाद की अवधि के दौरान जब्त की गई नकदी, शराब तथा अन्य वस्तुएं।		
(झ)	यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें तथा अलग–अलग स्थान एवं प्राधिकारी का नाम बताएं, जिनके द्वारा जब्त की गई।		

(ञ)	क्या जब्त नकद राशि/सामग्रियों को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से जोडा जा सकता है।		
(ट)	यदि ऐसा है तो, विवरण दें।		
(ठ)	क्या किसी संदिग्ध पेड न्यूज का पता चला था।		
(ड)	यदि ऐसा है, तो अभ्यर्थी का नाम, मीडिया का नाम तथा अन्य विवरणों सहित, विवरण दें (इस प्रकार के सभी मामलों की प्रति संलग्न करें)		
(ढ)	क्या सभी जनसभाओं/रैलियों/जुलूसों में उपगत व्यय की अभ्यर्थी के प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी।		
(ण)	क्या ऐसे सभी व्ययों को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दिन–प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर में दर्शाया गया था।		
(त)	यदि नहीं, तो विवरण दें।		
(थ)	क्या कोई संदिग्ध पेड न्यूज संज्ञान में आई थी और जिसे की गई थी और जिले में गठित समिति को संदर्भित की गई थी।		
(द)	यदि ऐसा है तो अभ्यर्थी के नाम सहित मीडिया का नाम तथा अन्य विवरण दें और क्या एमसीएमसी ने इस पर विचार किया है तथा क्या रिटर्निंग अधिकारी ने इस पर विचार कर नोटिस जारी किया है। (ऐसे मामलों का विवरण संलग्न करें)		
(ध)	क्या इस अवधि के दौरान शराब के उत्पादन/वितरण की रिर्पोटों को मॉनीटर किया जा रहा था।		
(न)	क्या आडम्बरपूर्ण व्यय जैसे– मुंडन समारोह, जन्मदिन समारोह, विवाह/समूह विवाह समारोह के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी/आयकर अन्वेषण महानिदेशालय को बताया गया था।		
(प)	यदि ऐसा है, तो निदेशालय/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण दें।		
(फ)	ऐसे व्यय की राशि का उल्लेख करें तथा क्या इसे किसी अभ्यर्थी से जोडा जा सकता है। (अभ्यर्थी का नाम बताएं)		
(ब)	नकद या किसी वस्तु के रूप में प्रत्येक राजनितिक दल द्वारा उनके अभ्यर्थियों की ओर से निर्वाचन क्षेत्र में उपगत व्यय (दल का नाम तथा राशि का उल्लेख करें)		
(भ)	निर्वाचन व्यय को छुपाने कोई अन्य तरीके का पता चला था (कृपया विवरण दें)		
(म)	कोई अन्य टिप्पणी/सुझाव (कृपया प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख करें)		

स्थान :

दिनांक :

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक की अंतिम रिपोर्ट

मतदान के पूरा होने के बाद व्यय रिपोर्ट

(रिपोर्ट चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिनों के बाद आयोग को प्रेषित की जाएगी)

रिपोर्टिंग की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	ईमेल आईडी
मोबाईल नम्बर	
निर्वाचन क्षेत्र	राज्य
जिला	
परिणामों की घोषणा की तारीख	
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तिथि	
लेखा समाधान बैठक की तारीख	
निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	
विजयी अभ्यर्थी का नाम/पार्टी संबध्दता, यदि कोइ है	

प्रेक्षक का सार

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी संबद्धता	अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने की तारीख (कृपया नीचे को नोट 4 देखें)	क्या निरीक्षण या दाखिल अंतिम लेखा के दौरान सभी विसंगतियों पर और उनके द्वारा दिये गये उत्तर पर विचार करके अभ्यर्थियों को नोटिस	क्या लेखे समय पर दाखिल किये गये हैं हां/नही	अभ्यर्थी के लेखे में उल्लिखित व्यय की राशि	क्या लेखा प्रपत्र में और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत हैं	क्या प्रेक्षक एकत्रित साक्ष्यों की तुलना में अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण से सहमत है (हां/नही) संलग्न	क्या प्रेक्षक एकत्रित सभी सूचनाओं की अभ्यर्थियों के प्रस्तुतीकरण से जांच की है हां/नही)	क्या अभ्यर्थी द्वारा उपगत अनुमानित व्यय निर्धारित सीमा से अधिक था हां/नही) यदि हाँ, तो उल्लेख करें।	अभ्यर्थी की तरफ से राजनैतिक पार्टी, यदि कोई है, द्वारा उपगत व्यय की राशि	अभ्यर्थी की ओर से अन्य हस्तियों, व्यक्तियों द्वारा उपगत व्यय की राशि	क्या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई नकदी एवं अन्य मदें 7 दिनों के अन्दर रिलीज कर दी गई है सिवाय ऐसे मामलों के (I) जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है (II) जिनमें नकदी आयकर विभाग को सौंपी गई है, यदि नही, तो क्या इसे तत्काल कार्यवाही के लिए आ.ओ, डी.इ.ओ एंव एस.पी के ध्यान में लाया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक

संख्याः– 1389 /रा0नि0आ0–3/2763/2019 दिनांकः 21 नवम्बर, 2024

अनुलग्नक–1

नागर स्थानीय निकाय निर्वाचनः–

क्र.सं.	उम्मीदवारों का पद	अधिकतम व्यय सीमा (रूपये में)
1	2	3
1.	नगर प्रमुख, नगर निगम	20,00,000 (40 वार्ड तक) 25,00,000 (41 से 60 वार्ड तक) 30,00,000 (61 वार्ड एवं इससे अधिक)
2.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम	2,00,000
3.	सभासद, नगर निगम	3,00,000
4.	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद,	6,00,000 (10 वार्ड तक) 8,00,000 (10 वार्ड से अधिक)
5.	सदस्य, नगर पालिका परिषद्	80,000
6.	अध्यक्ष, नगर पंचायत	3,00,000
7.	सदस्य, नगर पंचायत	50,000

संख्याः– 1389 /रा0नि0आ0–3/2763/2019 दिनांकः 25 नवम्बर, 2024

अनुलग्नक–2

नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण का प्रारूप
(दिन प्रतिदिन का लेखा)

1– उम्मीदवार का नामः–

2– पदनामः–

3– राजनीतिक दल का नाम यदि कोई होः–

4– नागर स्थानीय निकाय का नामः–

5– कक्ष/निर्वाचन क्षेत्र, जहां से निर्वाचन लड़ा गयाः–

6– परिणाम घोषित किए जाने की तिथिः–

व्यय का दिनांक	व्यय की प्रकृति	व्यय की गई/ भुगतान की गई धनराशि	धनराशि बकाया	भुगतान का दिनांक	पाने वाले का नाम व पता	धनराशि का भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में वाउचर क्र0सं0 व दिनांक	किसी धनराशि के बकाया रहने की स्थिति में बिल की क्र0सं0 व दिनांक	ऐसे व्यक्ति का नाम व पता जिसे बकाया धनराशि देय है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गये लेखा की यह सत्य प्रतिलिपि है।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–2 'क' व 'ख'

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिए नकद रजिस्टर/बैंक रजिस्टर

1– उम्मीदवार का नामः– राजनीतिक दल का नाम यदि कोई होः

2– पदनामः–

3– नागर स्थानीय निकाय का नामः–

4– निर्वाचन एजेन्ट का नाम व पताः–

5– परिणाम घोषित किए जाने की तिथिः–

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियां सहित)

अनुलग्नक–2 'क'

नगद रजिस्टरः–

प्राप्ति				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तिथि	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई हो।	रसीद संख्या	राशि	बिल संख्या /वाउचर संख्या तथा तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता	व्यय की प्रकृत्ति	राशि	वह स्थान जहाँ पर या जिस व्यक्ति के पास रखी गई हो।	कोई व्यय जो स्तम्भ दो में उल्लिखित नही है।

अनुलग्नक–2 'ख'

बैंक रजिस्टरः–

जमा				भुगतान				शेष	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तिथि	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई है/बैंक मे जमा की गई है।	चैक संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा व अन्य माध्यम जैसे UPI/RTGS /ONLINE	राशि	चैक संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृत्ति	राशि		

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संख्याः– 1389 /रा0नि0आ0–3/ /2024 दिनांकः 25 नवम्बर, 2024

अनुलग्नक–3

नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय के विवरण का प्रारूप।
(नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि के मध्य)

(मदवार व्यय का विवरण)

1. उम्मीदवार का नामः–
2. पदनामः–
3. राजनीतिक दल का नाम यदि कोई होः–
4. नागर स्थानीय निकाय का नामः–
5. कक्ष/निर्वाचन क्षेत्र, जहॉ से निर्वाचन लड़ा गयाः–
6. परिणाम घोषित किए जाने की तिथिः–

क्र. सं.	व्यय की मद	मात्रा संख्या	व्यय की धनराशि	भुगतान की तिथि	व्यय के भुगतान/ लेखा का प्रमाण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. नाम निर्देशन पत्र का मूल्य
2. जमानत की धनराशि
3. मतदाता सूची क्रय करने का व्यय
4. निर्वाचन घोषणा पत्र छपाने का व्यय
5. पोस्टर छपवाने का व्यय
6. हैण्ड बिल छपवाने का व्यय
7. पोस्टर चिपकवाने पर व्यय
8. निर्वाचन कार्यालय का किराया
9. हैण्ड बिल वितरित कराने पर व्यय
10. विज्ञापन छपवाने पर व्यय
11. निर्वाचन प्रचार सभाओं पर व्यय
12. निर्वाचन सभाओं हेतु स्थान, पण्डाल इत्यादि
13. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के किराये पर व्यय
14. फोटोग्राफर एपं वीडियो कैसेट आदि पर व्यय
15. निर्वाचन प्रचार हेतु विशिष्ट/ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने/ उनके भ्रमण पर हुआ व्यय
16. स्वागत द्वार, झंडे, बैनर इत्यादि बनवाने पर हुआ व्यय
17. प्रत्याशी, उसके निर्वाचन एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट तथा काउटिंग एजेण्ट द्वारा वाहन तथा पी0ओ0एल0 पर व्यय

18.प्रत्याशी के इलेक्शन एजेण्ट, पोलिंग एजेण्ट, काउटिंग एज़ेण्ट एवं अन्य कार्यकर्ताओं इत्यादि पर व्यय

19.निर्वाचन हेतु लिए गए सार्वजनिक वाहन का किराया/ईंधन आदि

20.अन्य व्यय

योग–

घोषणाः–

प्रमाणित किया जाता है कि मैं विगत नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में ..... निर्वाचन क्षेत्र में ..... कक्ष से ..... पद हेतु प्रत्याशी था। मैंने उक्त निर्वाचन में अपने द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप में..... को प्रस्तुत कर दिया था।

अथवा

मैं विगत नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन में किसी भी पद हेतु प्रत्याशी नहीं था।

स्थान –.....
दिनांक –.....

(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)
पूरा नाम.....
पता .....
मो0नं0.....

.....
जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

1. यह विवरण पत्र उम्मीदवार के शपथ पत्र के साथ लिया जायेगा। बिना शपथ पत्र के यह विवरण स्वीकार्य नहीं होगा।
2. व्यय की पुष्टि में सभी अभिलेख, बाउचर रसीद, पावती इत्यादि संलग्न किये जायेंगे।
3. व्यय के विवरण उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिये जाने की दशा में उम्मीदवार द्वारा इसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

संख्याः–1389 /रा0नि0आ0–3/2063/~~2024~~ 2019 दिनांकः 25 नवम्बर, 2024

अनुलग्नक–4

शपथ–पत्र समक्ष जिलाधिकारी/जिलानिर्वाचन अधिकारी

शपथ–पत्र का प्रारूप

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उम्र..... निवासी.....

एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से निम्न तथ्यों का उल्लेख एवं घोषणा करता/करती हूँ।

1. यह कि मैं नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन वर्ष.....में निर्वाचन क्षेत्र/कक्ष क्रमांक.....से..... .....के पद हेतु सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार था/थी, जिसका परिणाम दिनांक..... ..... को घोषित किया गया।

2. यह मेरे नामांकन करने के दिनांक से और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बीच में दोनों दिवस सम्मिलित है, उक्त निर्वाचन के संबंध में व्यय किये गये और मेरे अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यय का अलग–अलग और सही–सही लेखा मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया है।

3. यह कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये प्रारूप में उक्त लेखे का ब्यौरा दिया गया है और उसकी एक सत्य प्रतिलिपि उक्त लेखे में उल्लिखित पुष्टिकारक वाउचर/बिलों की, इसके साथ संलग्न की जा रही है।

4. यह कि मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में, जिसे संलग्न किया गया है, निर्वाचन की सभी मदों पर किये गये व्यय का ब्यौरा दिया है, जिसमें मेरे और मेरे अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यय सम्मिलित है, उसमें किसी व्यय को छिपाया नहीं गया है न दबाया गया है।

5. यह कि व्यय लेखा के अनुलग्नक में दिये गये मदों पर शून्य में दर्शाया गया व्यय नहीं किया गया है अथवा मेरे अथवा मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर